



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07082024-256134
CG-DL-E-07082024-256134

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 148]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 7, 2024/ श्रावण 16, 1946

No. 148]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 7, 2024/ SHRAVANA 16, 1946

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2024

आ. अ. 158(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13क की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग, राज्य सरकार के परामर्श से, एतद्वारा निदेश देता है कि महाराष्ट्र राज्य में जिला निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति से संबंधित इसकी अधिसूचना सं. 508/एमटी/2008 दिनांक 29/07/2008 में निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे;

पूर्वोक्त अधिसूचना से संलग्न तालिका में, स्तंभ (1) में यथा-विनिर्दिष्ट 22-मुंबई उपनगर और 23-मुंबई शहर जिले के सामने वाली प्रविष्टि के लिए स्तंभ (2) में निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी:-

तालिका

जिले की क्र. सं. और नाम	जिला निर्वाचन अधिकारी का पदनाम
1	2
22 – मुंबई उपनगर	आयुक्त, बृहन्मुंबई नगर निगम
23 – मुंबई सिटी	आयुक्त, बृहन्मुंबई नगर निगम

[सं. 508/एमटी/2008]

आदेश से,

एस. के. दास, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA**NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th August, 2024

O. N. 158(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of Section 13AA of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India, in consultation with the State Government, hereby directs that the following amendments shall be made in its Notification No. 508/MT/2008 dated 29/07/2008, relating to appointment of District Election Officer in Maharashtra State;

In the table appended to the abovesaid notification, for the entry against 22 – Mumbai Suburban and 23 – Mumbai City District, as specified in column (1), following entry shall be substituted in column (2) :-

TABLE

Sl. No. & Name of District	Designation of District Election Officer
1	2
22 – Mumbai Suburban	Commissioner, Brihanmumbai Municipal Corporation
23 – Mumbai City	Commissioner, Brihanmumbai Municipal Corporation

[No. 508/MT/2008]

By Order,

S. K. DAS, Secy.